उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 10/2021/285/35-1-2021-7-295/ज.नि.प्र./2017
लखनऊ : दिनांक: 06 अप्रैल, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये सेवा प्रदायी संस्थाओं (ह्यूमन रिसोर्स एजेन्सीज) के इम्पैनलमेन्ट के सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्याः 20/2018/497/35-1-2018-7-295/ज.नि.प्र./2017 दिनांक 22 जून, 2018 तथा शासनादेश संख्याः 23/2018/603/35-1-2018-7-295/ज.नि.प्र./2017 दिनांक 28 अगस्त, 2018 जारी किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि नियोजन विभाग द्वारा जारी उक्त शासनादेशों में उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारी विभाग/चयन आयोग/सरकारी संस्थाएँ अपने स्तर से भी खुली एवं पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया से नियमानुसार किसी परीक्षा आयोजन सम्बन्धी गतिविधियों/कार्यकलापों हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं/कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल/सूचीबद्ध कर सकते हैं। उक्त दोनों शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

कुमार कमलेश
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समिति के सदस्यगण।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
12- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
13- समस्त अधिकारी, नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग/नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग/भूमि उपयोग परिषद।
14- अध्यक्ष, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग/ उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड/उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग/उ0प्र0 पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in